वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक : 21.11.2022

पत्रांकः डी0एस0डब्लू/524 /2022–23

प्रेषक,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

विषयः–विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 1316/सत्तर–2–2022–16(98)/2022 लखनऊ दिनांक 16 नवम्बर, 2022 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से यह संज्ञानित किया गया है कि वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध कतिपय स्ववित्तपोषित संस्थानों को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं की जा रही है।

उक्त के क्रम में कृपया अपने महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा की जा रही है अथवा नहीं की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे शासन को ससमय वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

21/11/'22

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–
1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2–वरि0 आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3–सहा0 कुलसचिव, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

संख्या– 1316 /सत्तर–2–2022–16(98)/2022

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिनांक 17-XI-22
पंजिका पृष्ठ सं० 135
पत्रांक सं० 1190

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ: दिनांक : 16 नवम्बर, 2022

विषयः–विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कतिपय स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाया गया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित संस्थानों को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं की जा रही है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन को आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित संस्थानों को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही अथवा नहीं।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या– 1316 (1)/सत्तर–2–2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, उच्च शिक्षा प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना/आख्या समस्त राज्य विश्वविद्यालय से संकलित कर शासन को उपलब्ध करायें।

(1) अधिष्ठाता छात्र कल्याण
(2) स०कु० (छात्रवृत्ति)

17/11/22

महाविद्यालयों से पत्र के माध्यम से सूचना एकत्र करें।
17/11/22

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

RPS draft.243